RMSC
MEDICAL SERVICES CORPORATION
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

Rajasthan Medical Services Corporation

Gandhi Block, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, Jaipur (Raj.) 302 005
(Phone No: 0141-2228975, Fax No. 0141-5111040, E-mail id - rmsc.hqtrs.qc@gmail.com)

No. F.5/ RMSC/ QC/2013/995 Date: 6.9.13

1. समस्त चिकित्सा अधीक्षक, मेडीकल कालेज एवं सम्बन्धित अस्पताल
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सेटेलाईट अस्पताल/जिला अस्पताल
4. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला वेयर हाउस

राजस्थान

विषयः– दवाओं पर अंकित एक्सपायरी तिथि (Expiry Dates) के सम्बन्ध में।

दवाओं के लेबिल/कार्टन पर उनकी एक्सपायरी तिथि (Expiry Dates) अंकित होती है जो अमूमन माह व वर्ष में दी जाती है। जिसकी कानूनी स्थिति के बारे में स्पष्ट करने हेतु औषधि नियंत्रक, राजस्थान, जयपुर को लिखा गया था।

औषधि नियंत्रक ने अपने पत्र क्रमांक डीसी/लूज/2013/1310 दिनांक 04.09.2013 से अवगत कराया है कि दवाओं की ''एक्सपायरी तिथि'' के बारे में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 96 के तहत स्पष्ट व्याख्या की गई है जिसके अनुसार दवा को उसके लेबिल पर अंकित उस (वर्ष के) महीने की अंतिम तारीख तक उपयोग में लिया जा सकता है। पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत वितरण व्यवस्था में कार्यरत सभी अधिकारी व राज्यकर्मियों को इस बारे में अवगत कराने का श्रम करें। किसी भी दवा को उसकी शेल्फ लाईफ के दौरान वितरित करते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि सप्लाई की जाने वाली दवा की मात्रा उसकी एक्सपायरी तिथि तक के उपयोगार्थ ही हो।

संलग्नः– औषधि नियंत्रक, राजस्थान का पत्र क्रमांक डीसी/लूज/2013/1310 दिनांक 04.09.2013

प्रबन्ध निदेशक
आर.एम.एस.सी.

No. F.5/ RMSC/ QC/2013/ Date:

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निदेशक, (पब्लिक हेल्थ), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें।
4. कार्यकारी निदेशक, Procurement/Finance/Quality Control/Logistic, OSD(Supply) RMSC
5. AGM(IT), RMSC को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान ।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.),
आर.एम.एस.सी.

राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः डीसी/लूज/2013/ 1310 दिनांक : 04.09.2013

Rajasthan Medical Services Corporation Ltd.
Sr. No. 4163
Date 04.09.13
Swasthya Bhawan, JAIPUR

प्रबन्ध निदेशक
राजस्थान मेडीकल सर्विस कारपोरेशन
राजस्थान, जयपुर

विषयः– दवाओं पर अंकित एक्सपायरी तिथि (Expiry Dates) के बिन्दु पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्र सं. No. F.5/ RMSC/ QC/2013/959 dated 03.09.2013

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में निवेदन है कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं तदधीन नियमावली 1945 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दवा की अवधिपार तिथि होती है जो उसके निर्माण तिथि से एक्सपायरी तिथि के बीच की अवधि होती है जो अमूमन माह व वर्ष में अंकित होती है।

दवाओं की "एक्सपायरी तिथि" के बारे में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 96 के तहत स्पष्ट व्याख्या की गई है जिसके अनुसार दवा को महीनें की अंतिम तारीख तक उपयोग में लिया जा सकता है:–

Explanation:- For the purpose of this rule, the date of expiry shall be in terms of month and year and it shall mean that the drug is recommended till the last date last day of the month. The date of expiry shall be preceded by words 'Expiry date'.

औषधि नियंत्रक
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक
दिनांक 04-09-13
प्रेषित ED (RC)
डायरी